भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3808
11/08/2026 को उत्तर के लिए

पारंपरिक मत्स्य पालक समुदाय

3808. श्री मलैयारासन डी. :

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तटीय राज्यों में पारंपरिक मत्स्य पालक समुदायों पर औद्योगिक परियोजनाओं, पत्तन विकास, तटीय अवसंरचना, बिजली परियोजनाओं, खनन कार्यकलापों और अन्य बड़े पैमाने के विकास के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है; .

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान ऐसी परियोजनाओं के कारण मत्स्यपालन क्षेत्रों, समुद्री जैव विविधता, पकड़ी जाने वाली मछलियों, आजीविका के अवसरों और मछुआरों की आय में आए परिवर्तनों के संबंध में किए गए अध्ययनों, परामर्शों या प्रभाव मूल्यांकनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को औद्योगिक कार्यकलापों के कारण पारंपरिक मत्स्यपालन क्षेत्रों तक पहुंच में कठिनाई, तटीय प्रदूषण, मछलियों की उपलब्धता में कमी और विस्थापन के संबंध में मत्स्य पालक समुदायों से अभ्यावेदन या शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तमिलनाडु के कल्लाकुरिची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पारंपरिक मछुआरों के आजीविका अधिकारों की रक्षा करने, जहां लागू हो वहां पुनर्वास और मुआवजा प्रदान करने तथा सतत मत्स्य पालन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए तटीय राज्य सरकारों और संबंधित मंत्रालयों के समन्वय से क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख): सरकार प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन अनिवार्य करती है ताकि ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले तटीय राज्यों में पारंपरिक मत्स्यन समुदायों सहित पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का आकलन किया जा सके। परियोजना प्रस्तावकों द्वारा संचालित और अधिकारियों द्वारा मूल्यांकित, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) प्रक्रिया के अंतर्गत जांचों की एक व्यापक श्रृंखला शामिल होती है, जिसमें आधारभूत समुद्री और पारिस्थितिक अध्ययन, स्थलाकृतिक, बाथमीट्रिक और समुद्र विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण, तटरेखा और तलछट परिवहन विश्लेषण, जल, वायु तथा मिट्टी की गुणवत्ता का आकलन और हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग शामिल हैं। इसमें मैंग्रोव और मूंगा आकलन, ड्रेजिंग और नौवहन प्रभाव, प्रदूषण और तेल रिसाव (oil spill) के जोखिम, जलवायु संवेदनशीलता, तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) मैपिंग और अनुपालन अध्ययन, आपदा जोखिम मूल्यांकन और आपातकालीन प्रतिक्रिया अध्ययन, तथा सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) जैसे विशिष्ट मूल्यांकन भी शामिल हैं। संधारणीय योजना, निर्माण और संचालन सुनिश्चित करने के लिए, इन परियोजनाओं में अनिवार्य जन-परामर्श, लागत-लाभ विश्लेषण, और सुदृढ़ पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP), पर्यावरण निगरानी योजना (EMOP) तथा पर्यावरण शमन उपाय तैयार करना शामिल है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने सूचित किया है कि ICAR-केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (ICAR-CMFRI) ने मत्स्यन क्षेत्रों, समुद्री जैव विविधता, मत्स्यन मात्रा, आजीविका के अवसरों और मछुआरों की आय पर ऐसी पहलों के प्रभावों का आकलन करने के लिए विगत पांच वर्षों के दौरान कई परामर्श परियोजनाएं शुरू की हैं। इस अवधि के दौरान पूरी हुई परामर्श परियोजनाओं का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग): तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि चेन्नई जिले में उत्तरी चेन्नई के मत्स्यन गांवों से कोसास्थलायार नदी में प्रदूषण, एन्नोर क्रीक और उत्तरी चेन्नई तट के मछुआरों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव से संबंधित 6 अभ्यावेदन और शिकायतें प्राप्त हुई हैं। थूथुकुडी जिले में, 6 गांवों के मछुआरों ने उडनगुडी थर्मल पावर परियोजना के कारण आजीविका के नुकसान और समुद्री कटाव संबंधी अभ्यावेदन दिया है। समुद्री कटाव को रोकने के लिए अल्लनथलाई, मनपद और पेरियाथलाई गांवों में ब्रेकवाटर स्थापित किए गए हैं। तिरुनेलवेली जिले में, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना में बेट आर्क के विस्तार के कारण होने वाले समुद्री कटाव के संबंध में 7 मत्स्यन गांवों से शिकायत प्राप्त हुई है, जिससे मत्स्यन नौकाओं को खड़ा करने और मत्स्यन क्षेत्रों के अधिक दूरी पर स्थानांतरित होने का प्रभाव पड़ा है। कन्याकुमारी जिले में, मनवलकुरिची में इंडियन रेयर अर्थ्स (इंडिया) लिमिटेड (IREL) द्वारा खनन जैसी औद्योगिक गतिविधियों के कारण तटीय प्रदूषण (विकिरण) के संबंध में हितधारकों से 3 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कल्लाकुरिची निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में, मत्स्यन समुदायों से अब तक कोई अभ्यावेदन या शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने तटीय राज्यों के साथ समन्वय में समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों के सतत उपयोग और छोटे पैमाने के तथा पारंपरिक मछुआरों के कल्याण के लिए व्यापक उपाय किए हैं। सरकार ने अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में मत्स्य पालन का सतत उपयोग नियम, अधिसूचित किए हैं, जो प्रमुख संरक्षण उपायों को अनिवार्य बनाते हैं, जिनमें मत्स्य प्रजनन के मौसम के दौरान एकसमान मत्स्यन प्रतिबंध; मत्स्यन के लिए न्यूनतम कानूनी आकार और अनपेक्षित पकड़ को कम करने के उपायों को अपनाना; विनाशकारी और जुवेनाइल मत्स्यन की प्रथाओं पर रोक; और पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान को न्यूनतम करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है।

सतत मत्स्यन, मत्स्य स्टॉक को बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा के विचारों के लिए, अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में प्रतिवर्ष एकसमान 61 दिनों का मत्स्यन प्रतिबंध लागू किया जाता है। तटीय राज्य/केंद्र शासित प्रदेश भी EEZ-व्यापी प्रतिबंध के अनुरूप अपने क्षेत्रीय जलक्षेत्र के भीतर संबंधित प्रतिबंध लागू करते हैं। मत्स्यन प्रतिबंध/लीन अवधि के दौरान सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के लिए आजीविका और पोषण सहायता, साथ ही सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रदान किया जाता है।

PMMSY के तहत, भारत सरकार ने पहली बार तटीय राज्यों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों जैसे कि हैबिटेट के क्षरण को रोकने, मत्स्य स्टॉक को बढ़ाने और मछुआरों की आजीविका को सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तटरेखा पर सी रेंचिंग और आर्टिफ़िश्यल रीफ़्स की स्थापना के लिए सहायता का विस्तार किया है। तटीय जल में मत्स्यन के दबाव को कम करने और सतत तरीके से समुद्री मात्स्यिकी उत्पादन को बढ़ाने के लिए समुद्री शैवाल कृषि और खुले समुद्र में केज कल्चर सहित मैरीकल्चर जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

PMMSY में "जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांवों (CRCFV) के रूप में 100 तटीय मछुआरा गांवों का विकास" घटक भी शामिल है, जिसका उद्देश्य तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संयुक्त रूप से चुने गए 100 गांवों को अवसंरचना और आजीविका बढ़ाने वाली गतिविधियों सहित आवश्यकता-आधारित पहलों के माध्यम से आर्थिक रूप से जीवंत और जलवायु-अनुकूल गांवों में बदलना है।

अनुलग्नक

पारंपरिक मत्स्य पालक समुदाय के संबंध में लिए माननीय संसद सदस्य, लोकसभा, श्री मलैयारासन डी. द्वारा पूछे गए दिनांक 11 अगस्त, 2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3808 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

विगत 5 वर्षों में ICAR-CMFRI द्वारा किए गए अध्ययनों का विवरण		
क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**अभिग्राहक विवरण**
1.	विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह, केरल, भारत के संभावित प्रभाव क्षेत्रों से समुद्री मत्स्य लैंडिंग डेटा का अनुमान	अदानी विझिंजम पोर्ट प्रा. लिमिटेड (AVPPL)
2.	तटीय मात्स्यिकी पर प्रस्तावित वधावन बंदरगाह के प्रभाव का अध्ययन	जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नरीमन पॉइंट, मुंबई
3.	मात्स्यिकी और मछुआरों की आजीविका पर तटीय सड़क के प्रभाव के लिए आधारभूत अध्ययन, मुंबई, महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई नगर निगम(MCGM), मुंबई
4.	पालघर, महाराष्ट्र में मात्स्यिकी पर भूकंपीय सर्वेक्षण के प्रभाव का आकलन	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुंबई
5.	आस-पास के क्षेत्रों में मत्स्य स्टॉक और मत्स्यन गतिविधियों पर ठाणे क्रीक ब्रिज-III के निर्माण का बड़े पैमाने पर प्रभाव का परीक्षण।	महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम, मुंबई -400 050
